

कायालय प्रथम अपालाय आधिकारा : (आर०टी०आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न० 413 : वरुणालय फेज - ॥ : करोल बाग नई दिल्ली -110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट

www.delhijalboard.nic.in

कमांक: दि०ज०ब०० / प्र०अ०अ०(आर०टी०आई)अपील न० 1383 / 2015 / दिनांक: 02.11.2015
5
1253,

श्री एस० के० अग्रवाल,
39, ग्रुप-7, गली राजा केदारनाथ,
चावड़ी बाजार,
दिल्ली-110006.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)द० / द०प०

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री एस० के० अग्रवाल के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 06-07-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 28.10.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री एस० के० अग्रवाल उपस्थित हुए एवं श्री जी०के० कक्कड़, मुख्य लिपिक द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)- ॥, लाजपत नगर, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 25.05.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 06.07.2015 को दायर की।

आर० टी० आई० की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारीं ने आर० टी० आई० के प्रार्थनापत्र का उत्तर नहीं दिया है। श्री जी०के० कक्कड़, मुख्य लिपिक द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)- ॥, लाजपत नगर, ने बताया कि इस क्षेत्र के अधिकारियों व कर्मवारियों के स्थानान्तरण के कारण अपीलकर्ता के प्रार्थनापत्र का उत्तर नहीं दिया जा सका।

अपील में अपीलकर्ता ने अपनी शिकायत का उल्लेख भी किया है, इस सम्बन्ध में श्री जी०के० कक्कड़ मुख्य लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता की शिकायत को नियमानुसार दूर कर दिया जाए।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

568

5/11/15

ह०/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री एस० के० अग्रवाल, 39, ग्रुप-7, गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द० / द०प०
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)- ॥, लाजपत नगर,
4. अधिशासी अभियन्ता (ई०डी०पी०), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट पर